सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या:– 01 / 2015 दायर दिनांक 30.01.2015

आवेदक		अनावेदकगण
1. मजीद पुत्र अलीखाँ, जाति–देशवाली मुसलमान, निवासी–सांमियाँ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. मनोजकुमार, मुकेशकुमार व राजेशकुमार पिसरान् नन्दकिशोर तथा शान्तिदेवी पत्नी नन्दकिशोर, 2. विकास पुत्र झूमरमल व रंजना, पिंकी पुत्रियाँ झूमरमल व सुलोचनादेवी पत्नी झूमरमल, 3. अमितकुमार, विपुलकुमार पिसरान् रामगोपाल व शारदादेवी पत्नी रामगोपाल, 4. बजरंगलाल, गोपाल, शिवप्रसाद पिसरान् सीताराम व गंगादेवी पत्नी सीताराम, 5. सत्यनारायण, जगमोहन व पवनकुमार पिसरान् बिहारीलाल, समस्त कौम–महाजन, निवासी–खुनखुना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. बेगाराम पुत्र नन्दाराम, कौम–माली, निवासी–कुड़ली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. मोहनराम व लिछमणराम, कौम–जाँगिड़, निवासी–खुनखुना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

प्रार्थना–पत्र

अन्तर्गत धारा 251 ए(1) R.T. Act.

उपस्थित:–

1. आवेदक।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या–01/2015
दायर दिनाँक 30.01.2015 निर्णय दिनाँक 25.06.2018
मजीद बनाम् मनोजकुमार, वगैरा।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 25.06.2018

प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि, आवेदकगण उपखण्ड डीडवाना में ग्राम सानियाँ में स्थित खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 483/49 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा है। उक्त खसरा की भूमि में पहुँचने हेतु कोई रास्ता नहीं है जिस हेतु नये रास्ते के लिए आवेदन कर रहे है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) उप धारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमति लेना चाहते है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रभावित खातेदारान को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत होने के लिए जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रकरण न्याय आपके द्वार, 2018 : कोर्ट कैम्प–सानियाँ में पेश हुआ। आवेदक उपस्थित। आवेदक प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाने हेतु निवेदन कर रहे है। प्रकरण में तहसीलदार डीडवाना से जाँच व तथ्यात्मक रिपॉर्ट तलब की गयी। तहसीलदार डीडवाना ने दिनाँक 27.06.2017 को रिपॉर्ट पेश कर दी है।

तहसीलदार डीडवाना ने अपनी रिपोर्ट दिनाँक 27.06.2017 में प्रकरण में मौके का नजरी नक्शा अनुसार नया रास्ता प्रस्तावित किया है। उक्त रिपोर्ट के मुताबिक– शरहद सानियाँ के खसरा नम्बर 483/49 रकबा 21.10 बीघा में आने–जाने हेतु, मौका रिपोर्ट में दर्शित " लाल लाईन" (नजरीनक्शा में अंकित खसरा नम्बर 150/09 व जमाबन्दी में अंकित खसरा नम्बर 619/147 में से होकर) की भूमि को रास्ता हेतु प्रस्तावित किया है।

शरहद सानियाँ के खसरा नम्बर 483/49 रकबा 21.10 बीघा में आवागमन हेतु नया रास्ता उपलब्ध कराए जाने की प्रार्थी मांग कर रहे हैं। काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) उपधारा (1) में संशोधन होने के बाद एक काश्तकार को उसकी भूमियों में आने–जाने के लिए निकटतम रास्ता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। तहसीलदार डीडवाना की दिनाँक 27.06.2017 की रिपॉर्ट व उपलब्ध अभिलेख के अनुसार आवेदक की भूमि में आने–जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं है। कृषि भूमि में आवागमन के लिए प्रार्थी को रास्ता की नितान्त आवश्यकता है। तहसीलदार डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

की मौका रिपोर्ट के साथ पेश हुई नजरी नक्शा रिपोर्ट मुताविक, खसरा नम्बर 619/147 (नजरीनक्शा में अंकित खसरा नम्बर 150/09 व जमाबन्दी में अंकित खसरा नम्बर 619/147) में से होकर के, भूमि को नजदीकी रास्ते के लिए प्रस्तावित किया है। तहसीलदार डीडवाना की दिनाँक 27.06.2017 की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपॉर्ट मुताबिक व प्रस्तावित खसरा नम्बर 619/147 (नजरीनक्शा में अंकित खसरा नम्बर 150/09 व जमाबन्दी में अंकित खसरा नम्बर 619/147) में से होकर नजदीकी रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट दिनाँक 27.06.2018 के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 483/49 वाकै शरहद सानियाँ में आवागमन हेतु, तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट दिनाँक 27.06.2017 के अनुसार, मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा में खसरा नम्बर 619/147 (नजरीनक्शा में अंकित खसरा नम्बर 150/09 व जमाबन्दी में अंकित खसरा नम्बर 619/147) में से दर्शित मार्क "लाल लाईन" की भूमि, को रास्ता की भूमि घोषित की जाती है।

तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करें। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट, निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

रास्ता में गयी भूमि की कीमत का, वर्तमान डी0एल0सी0 दर से नियमानुसार आंकलन कर, प्रभावित खातेदारान् को भूगतान की कार्यवाही करावें।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–सानियाँ

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **25.06.2018** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–सानियाँ

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner